

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध-पत्र / वचन-पत्र

1. मैं/हम उत्तर प्रदेश का चार चरित्र लिमिटेड जिसे एतद्वारा प्रदायक (सप्लायर) कहा गया है से निम्नलिखित **₹ 50 रुपये** संस्थापन (इन्स्टालेशन) को प्रक्रिया/प्रक्रियाओं के सम्भरण का प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के निर्मित अथवा शक्ति से अनाधिक विद्युत शक्ति लेने के लिए सहमत हूँ/हैं। उपर्युक्त दो वर्ष की न्यूनतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसे वचन वर्षानुवर्ष यहाँ निहित शर्तों के आधार पर तब तक जारी रखा गया सम्भला जायेगा, जब तक कि दोनों में से किसी ओर से कम से कम 30 दिन की पूर्व लिखित सूचना देकर उसको समाप्त न कर दिया गया हो।
2. मैं/हम, एतद्वारा इस समय प्रचलित अथवा प्रदायक द्वारा समय-समय पर क्या संशोधित उपर्युक्त सम्भरण के लिए निगम द्वारा नियम दलों पर तथा सम्भरण की शर्तों से अनुबन्धित अन्य परिस्थितियों का भी भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
3. मैं/हम, एतद्वारा प्रदायक के पास आवश्यक प्रतिभूति धनराशि (सिक्योरिटी एनाउन्स) जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं और कोई भी अग्रतर प्रतिभूति जब कभी भी प्रदायक द्वारा मांगी जायेगी, जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
4. मेरे/हमारे सम्बन्ध में प्रवृत्त टैरिफ के अनुसार यथानुबद्ध न्यूनतम प्रत्याभूति (गारन्टी परिध्वन्य चार्ज) में जो भी कमी यदि कोई होगा, यह वास्तविक उपयोग की कटौती करने के उपरान्त जिसमें से वह छूट या सरदाज निकाल दिया जायेगा जो किसी बिल के देरी से भुगतान करने के कारण अदेय हो, भुगतान की जायेगी।
5. मैं/हम, प्रदायक के स्टोर से कनेक्शन के स्थल तक स्थलीय अपनी लागत पर रातमान को ले जाने के लिए वचनबद्ध होता हूँ/होते हैं, वचनबद्ध नहीं हूँ/नहीं होते हैं।
6. मैं/हम, अपनी लागत पर खम्भों (पोल्स) के संस्थापन (इन्स्टालेशन) के लिए अर्पित सीमेन्ट की व्यवस्था करने के लिए वचनबद्ध होता हूँ/वचनबद्ध होते हैं, वचनबद्ध नहीं होते हैं।
7. मैं/हम, एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस समय प्रवृत्त सम्भरण की दरों और शर्तों में मेरे/हमने पढ़ लिया है। मैं एतद्वारा अग्रतर अनुबन्ध करता हूँ/करते हैं कि इस प्रवृत्त सम्भरण की शर्तों का पालन करूँगा/करेंगे तथा उसमें होने वाले पष्वातवर्ती परिष्कारों का अथवा परिवर्तनों का भी पालन करूँगा/करेंगे तथा यथाप्रवृत्त अथवा समय-समय पर यथा संशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट 1948 तदनुगत निर्मित नियमावली, विनियमावली, इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 तथा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूलस 1956 से आबद्ध हूँगा/होगे।

भू-गृहादि का विवरण

मैं एतद्वारा अग्रतर अनुबन्ध करता हूँ कि मैं निम्नलिखित उपनुबन्धों (स्टीपुलसन्स) का पालन करूँगा।
 (1) सर्विस कनेक्शन एवं अन्य निर्धारित घ्यय आदि की धनराशि जमा करूँगा।
 (2) अन्य वांछित औपचारिकतायें पूरी करूँगा।

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
 पूरा नाम श्री. बाबूलाल उम्र _____
 पिता का नाम श्री श्री. लाल
 ग्राम महुआर पोस्ट _____
 थाना इन्द्रिया जिला मिर्जापुर
 विद्या पुष्प लोड 3M.P.
कृष्ण लाल
LEMAN-51

महिलाएं कुशल हैं
 22 JUL

भारतीय गैर न्यायिक



मैं/हम वर्धनबद्ध होता है/वर्धनबद्ध होते हैं कि समस्त विषय पर प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन इन

वचन-पत्र के निष्पादन के निमित्त अपेक्षित स्टाम्पो तथा रजिस्ट्रीकरण शुल्क, यदि कोई हो भुगतान करेगा/करने।
 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH तथा प्रतिबन्धों को सुसंगतरूप से प्राप्त कर दिया है।

CR 643592

उपभोक्ता का हस्ताक्षर
 पूरा नाम श्री. सुरेश चौरा उम्र
 पिता का नाम श्री मिर्झा लाल
 ग्राम मुहम्मद पोस्ट
 थाना वि०ख० जिला मिर्जापुर

उपभोक्ता का साक्षी
 पूरा नाम तथा पता

हस्ताक्षर

पूरा नाम उम्र
 पिता का नाम श्री

ग्राम पोस्ट
 थाना वि०ख० जिला मिर्जापुर

हस्ताक्षर

पूरा नाम उम्र
 पिता का नाम श्री

ग्राम पोस्ट
 थाना वि०ख० जिला मिर्जापुर

- प्रतिभूति की धनराशि का विवरण
 - रसीद संख्या
 - दिनांक
 - धनराशि
 - अंको में
 - शब्दों में
- सम्भरण प्रारम्भ होने का दिनांक

Mur
 हस्ताक्षर
 अनुबन्ध लिपिक

OL
 हस्ताक्षर
 अधिरासी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड-1